छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 203/2006</u>

श्री नितिन सिंघवी, ... **अपीलार्थी**
एम.आई.जी. 59,
सेक्टर–1, शंकरनगर,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. **जन सूचना अधिकारी,** .... **प्रतिअपीलार्थी**
   कार्यालय प्रमुख अभियंता,
   लोक निर्माण विभाग,
   रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. **अपीलीय अधिकारी,** .... **प्रतिअपीलार्थी**
   प्रमुख अभियंता,
   लोक निर्माण विभाग,
   रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::
(05 अगस्त 2006)

श्री नितिन सिंघवी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के आदेश दिनांक 9–3–2006 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी नितिन सिंघवी ने जन सूचना अधिकारी, मुख्य अभियंता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग को आवेदन पत्र दिनांक 10–1–2006 के द्वारा मुख्य अभियंता योजना के द्वारा लिखित नोटशीट दिनांक 2–11–2005 के पैरा क्रमांक–4 एवं ण्त्ण्ब 53 के संबंध में जानकारी चाही थी। उक्त नोटशीट में मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना ने ब्त्ण्ड्ण्ठ के कार्य में टेस्टिंग के ऊपर अधिक ध्यान दिया जाना है। इस टीप के संबंध में आधार चाहा था तथा ण्त्ण्ब में कन्ट्रोल से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं ग्रेड 60/70 से कार्य संपादित करते समय किये जाने वाले ट्रेस से संबंधित दस्तावेज एवं आधार तथा उपकरणों की जानकारी चाही थी। सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 17–2–2006 को आवेदक को उल्लेख किया कि ण्त्ण्ब से संबंधित टीप ण्त्ण्ब कार्यशाला में हुई चर्चा पर आधारित है। शेष बिन्दुओं के संबंध में जानकारी दी गई। अपीलार्थी ने इससे असंतुष्ट होकर अपीलीय अधिकारी, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 9–3–2006 के द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की, जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

सूचना अधिकारी, मुख्य अभियंता कार्यालय योजना तथा अपीलीय अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में सूचना अधिकारी के द्वारा बतलाया गया कि आवेदक के द्वारा ब्त्ण्डण्ठण से संबंधित टेस्ट एवं टेस्टिंग हेतु उपकरणों के नाम तथा कीमत पूछे गये थे। उपकरणों के नाम एवं कीमत की जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है क्योंकि टेस्ट कराने हेतु कार्यालय में कोई उपकरण नहीं है। बिन्दु क्रमांक–6 कार्यपालन अभियंताओं के द्वारा बिना टेण्डर के क्रय संबंधी अधिकारों की जानकारी अपीलार्थी को दी जा चुकी है। अपीलार्थी का यह कथन है कि नोटशीट में यह अंकित किया गया कि ब्त्ण्डण्ठण के कार्य में टेस्टिंग के ऊपर खाली ध्यान दिया जाना है। वर्तमान में विभाग में लेब टेस्टिंग हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण ब्त्ण्डण्ठण के क्वालिटी से संबंधित नियंत्रण किया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी ने प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 18–5–2006 के एक पत्र की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की, जिसमें कि मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, रायपुर को लिखा गया है कि रबर डवकपपिमक ठपजनउमद का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा निर्मित सड़कों में किया जा रहा है अतः अधिक यातायात घनत्व वाली मार्गों पर डवकपपिमक ठपजनउमद प्रस्तावित कर भारत शासन को भेजा जावे। अपीलार्थी का यह तर्क है कि मुख्य अभियंता के द्वारा बिना किसी आधार के नोटशीट के क्रमांक–4 बिन्दु में टीप दी गई है। प्त्ण्ब् की कार्यशाला में यदि यह तथ्य चर्चा में आया है तो कार्यशाला की कार्य–विवरण में इसका उल्लेख होना था तथा उसे नस्ती में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, किन्तु वह प्रस्तुत नहीं हुआ।

ऐसा प्रतीत होता है कि टीप लिखने वाले अधिकारी के द्वारा अपने विवेक से टीप लिखी गई है तथा टीप के आधार स्पष्ट नहीं किये गये हैं। विकास कार्यों के लिए किस आधार पर निर्णय लिया गया है इसको जानने का अधिकार जन–सामान्य को है। अपीलार्थी के द्वारा अन्य प्रकरणों में भी इन्हीं आधारों की जानकारी चाही गई है कि उपयोग में लाये गये डामर का चयन किस आधार पर किया गया तथा ब्त्ण्डण्ठण का चयन किस आधार एवं कारणों से नहीं हुआ। जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसका उपयोग कर रहा है।

यह प्रकरण विकास से संबंधित जानकारी का है तथा इसकी जानकारी एवं लिये गये निर्णयों का आधार एवं कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए। इस प्रकरण तथा इससे संबंधित अपीलार्थी के अन्य प्रकरणों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मुख्य अभियंता द्वय योजना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की टीप एवं उस पर प्रमुख अभियंता की टीप अनुपलब्ध आधार एवं कारणों के लिखी गई है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा चाही गई जानकारी अनुपलब्धता के कारण नहीं दिये जाने का तर्क मान्य नहीं है। यदि लिखे गये तथ्य का आधार अनुपलब्ध था तो टीप किस आधार पर लिखी गई। इतने वरिष्ठ अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि नोटशीट में वे जो मत देते हैं उसका आधार उनके पास लिखित में होना चाहिए व उसे देनी चाहिए अन्यथा उन्हें स्पष्ट बताना चाहिए कि उन्होंने बिना किसी तकनीकी आधार के यह मत दिया था। अतः अब इस प्रकरण में प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस प्रकरण के संबंध में तथ्यों की जाँच करें तथा अपीलार्थी को सूचना का अधिकार के अंतर्गत विकास संबंधी कार्यों हेतु लिये गये निर्णयों का आधार विभागीय अधिकारियों से स्पष्ट करावें। चूंकि सूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध सूचना

आवेदक को विलम्ब से 20–3–2006 को दी गई है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि आवेदक ने प्रत्यक्ष रूप से जानकारी लेने से इंकार किया तथा जानकारी को डाक के द्वारा भेजे जाने हेतु उल्लेख किया गया। अपीलार्थी को डाक से समय पर ही जानकारी भेजी जाना चाहिए थी। विलम्ब से सूचना भेजी गई, जिससे अपीलार्थी को मानसिक यातना एवं आर्थिक क्षति हुई है। अतः अपीलार्थी को लोक निर्माण विभाग के द्वारा 500/– रूपए (पांच सौ रूपए मात्र) क्षतिपूर्ति प्रदान की जावे। चूंकि कार्यालय में चाही गई जानकारी उपलब्ध होना नहीं बतलाया गया है, अतः जन सूचना अधिकारी को अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जा रहा है।

प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग को आदेश की प्रति आदेश में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करने के लिए भेजी जा रही है।

अपीलार्थी की अपील उक्त निर्देशों के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त